

तरकहीन/नरिाधार गरिफ्तारी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [इलाहाबाद उच्च न्यायालय](#) ने वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में [गौहत्या अधिनियम, 1955](#) के तहत आरोपित एक व्यक्तिकी [अग्रमि ज़मानत](#) मंजूर कर ली।

- न्यायालय ने कहा कि तरकहीन/नरिाधार और मनमाने ढंग से गरिफ्तारी [मानवाधिकारों का उल्लंघन](#) है।

मुख्य बडि:

- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी व्यक्तिको गरिफ्तार करना पुलिस के लिये अंतिम उपाय होना चाहिये, ऐसा केवल असामान्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये, जब पुछताछ के लिये ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो।
- नरिाधार और मनमाने ढंग से गरिफ्तारियां करना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है।

अग्रमि ज़मानत (गरिफ्तारी पूर्व ज़मानत)

- यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी आरोपी व्यक्तिको गरिफ्तार होने से पहले ज़मानत के लिये आवेदन करने की अनुमति देता है।
- भारत में गरिफ्तारी-पूर्व ज़मानत [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438](#) के तहत दी जाती है। यह केवल सत्र न्यायालय और [उच्च न्यायालय](#) द्वारा जारी की जाती है।
- गरिफ्तारी-पूर्व ज़मानत का प्रावधान वविकाधीन है और अदालत अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त एवं अन्य परासंगिक कारकों पर वचिार करने के पश्चात ज़मानत दे सकती है।
- न्यायालय ज़मानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकती है, जैसे- पासपोर्ट जमा करना, देश छोड़ने से बचना या नियमिति रूप से पुलिस स्टेशन में उपस्थिति होना।